

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक:- रा0खा0आ0 (श्री0) देवघर/PDS-29/2022-304
प्रेषक,

शबनम परवीन
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:-04.05.2023

विषय:- श्री बसंत साहु, अध्यक्ष, भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति, मेन रोड, राँची के परिवार में उल्लेखित आरोपों के जाँच के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- आयोग का पत्रांक-236 दिनांक-31.03.2023
महाशय,


उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि श्री बसंत साहु का परिवार-पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवार-पत्र में देवघर जिला के DSD निविदा में भारी हेराफेरी का आरोप लगाया गया है। DSD के निविदा में एक्सार्जिज विभाग में कार्यरत वाहनों को मधुपुर एवं पालाजोरी प्रखण्ड के निविदादाताओं के वाहनों की सूची में डाले जाने का आरोप लगाया गया है। परिवार-पत्र में तीन वाहनों का नम्बर भी अंकित है।

परिवार-पत्र में DSD निविदा के अतिरिक्त FCI से JSFC के परिवहन अभिकर्ता द्वारा सारवाँ प्रखण्ड का 400 क्वींटल चावल कालाबाजारी करने का आरोप लगाया गया है। परिवार-पत्र में यह भी उल्लेखित है कि सारवाँ गोदाम का Computer Operator online receive कर लिया है और गोदाम मैनेजर से चालान receive कराने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन गोदाम मैनेजर श्री प्रेम मुर्मू receiving नहीं दे रहे हैं। यह भी कि दिसम्बर, 2022 का कई प्रखण्डों का गेहूँ कालाबाजारी कर दिया गया है, जिससे PDS दुकानदारों को दिसम्बर, 2022 का गेहूँ प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे लाभुक परेशान हैं। यह भी कि JSFC के परिवहन अभिकर्ता श्री अविनाश कुमार द्वारा हर प्रखण्ड के लिए अपने संबंधियों से DSD का निविदा डलवाया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रासंगिक-पत्र द्वारा श्री श्यामनंदन सिंह वगै० का परिवार-पत्र विभाग को कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया था। उक्त परिवार-पत्र में भी दिसम्बर, 2022 के गेहूँ का बड़े मात्रा में कालाबाजारी का आरोप लगाया गया था। उक्त परिवार-पत्र में यह भी उल्लेखित था कि इस आशय का आवेदन बार-बार दिया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आरोप अत्यन्त गम्भीर प्रकृति के हैं। अतः परिवार-पत्र एवं प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि मामले की गम्भीरता से जाँच कराया जाए एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन


4.5.23
(शबनम परवीन)

सदस्य,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

20

31

4.5.23

सेवा में,

अध्यक्ष, राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग
श्री हिमांशु शेखर चौधरी

सेवा में,

सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

निर्देशक,
खाद्य एवं उपभोक्ता निर्देशालाय, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

निर्देशक,
उपायुक्त महोदय, देवघर

महाशय,

हमलोग देवघर निवासी जानकारी देना चाहता हूँ देवघर डोर स्टेप डिलेवरी के निविदा में भारी हेरा-फेरी हो रहा है जिनका निविदा कम्पनी द्वारा स्वीकृत किया गया है उनका भी बेवजह कुछ-न-कुछ गलती निकाल कर कम्पनी को पुनः निविदा करने के लिये लिखा जाता है, वैसे देवघर जिला में डोर स्टेप डिलेवरी के निविदा में कई प्रखंडों में देवघर जिला राज्य खाद्य निगम के परिवहन अभिकर्ता श्री अविनाश कुमार द्वारा अपने सम्बन्धियों द्वारा निविदा डलवाया गया है इनके द्वारा जो गाड़ी एक्साईज विभाग में कार्यरत है उन्हीं गाड़ी को दोबारा मधुपुर प्रखंड एवं पालाजोरी प्रखंड के लिये दिया गया है। (1) गाड़ी नं० JH10CM-6771 (2) गाड़ी नं० JH10CM-1391 (3) गाड़ी नं० JH10CM-6568 ये सभी गाड़ी एक्साईज विभाग में कार्यरत है, फिर भी इनके आवेदन को कम्पनी द्वारा स्वीकृति दी गई है जबकि राज्य खाद्य निगम के देवघर जिला के परिवहन अभिकर्ता देवघर जिला के सारवाँ प्रखंड के जन वितरण दुकानदारों का (400) चार सौ क्वी० अनाज कालाबाजारी में बेच दिया है। सारवाँ प्रखंड के श्री प्रेम मुर्मू गोदाम मैनेजर राज्य खाद्य निगम द्वारा सूचित किया गया है। परिवहन अभिकर्ता द्वारा उक्त मात्रा का गोदाम मैनेजर से चालान Receive कराना चाहते हैं। परन्तु गोदाम मैनेजर Receiving नहीं दे रहे हैं। सारवाँ के कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा उक्त मात्रा का Online कर दिया गया है। लगभग देवघर जिला के कई प्रखंडों में यही स्थिति है। इनका पहुँच बड़े-बड़े पदाधिकारियों तक है। देवघर जिला के कई प्रखंडों का अनाज कालाबाजारी में बेच दिये हैं। जैसे कि माह दिसम्बर 2022 में कई प्रखंडों के गेहूँ का कालाबाजारी कर दिये हैं। माह दिसम्बर 2022 में जनवितरण दुकानदारों को गेहूँ नहीं प्राप्त हुआ जिससे उपभोक्ताओं को माह दिसम्बर 2022 का गेहूँ इस महँगाई में नहीं मिल पाया। उपभोक्ता परेशान है। अगर इसकी जाँच निष्पक्ष हो तो हजारों क्वी० अनाज का देवघर जिला में कालाबाजारी जिला परिवहन अभिकर्ता, राज्य खाद्य निगम द्वारा किये जाने

क्रमशः.....

4/5/23

श्री अविनाश
कुमार
04/05/23

31
4.5.23

25/09/20

की जानकारी प्राप्त हो जायेगी। देवघर जिला में गरीब निःसहाय लाभुकों के अनाज को कालाबाजारी करने के लिये राज्य खाद्य निगम के जिला परिवहन अभिकर्ता श्री अविनाश कुमार द्वारा हर प्रखंड में डोर स्टेप डिलेवरी में अपने सम्बन्धियों से निविदा डलवा दिये हैं। अगर इन्हें निविदा स्वीकृत होगा तो सारे प्रखंड का अनाज कालाबाजारी में बेचवा देंगे।

अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त सभी विषयों पर क्रमवार जाँच हेतु आदेश विभाग के वरीय पदाधिकारी को दिया जाय ताकि सही जाँच हो सके। सबके पहले सारवाँ प्रखंड के राज्य खाद्य निगम के गोदाम का जाँच कराया जाय। सभी तथ्यों का यही से उजागर हो जायेगा किसी भी परिस्थिति में इनके सम्बन्धी द्वारा दिये गये डोर स्टेप डिलेवरी के निविदा पर रोक लगाने का आदेश दिया जाय ताकि देवघर जिला के जनता को भुखमरी से बचाया जा सके।

विश्वासभाजन

Vasant Sahu
(वसंत साहू)

अध्यक्ष

भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति
मेन रोड, झारखंड, राँची।

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :- रा0खा0आ0 (शिकायत)- देवघर/PDS-29/2022-236

प्रेषक,

संजय कुमार

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

प्रधान सचिव

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:-31.03.2023

विषय:- देवघर जिले में माह दिसम्बर 2022 के अनाज की कालाबाजारी करने संबंधी प्राप्त परिवाद पत्र पर कार्रवाई के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि श्री श्याम नन्दन सिंह एवं अन्य का शिकायत पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। शिकायतकर्ताओं द्वारा देवघर जिले के देवघर प्रखण्ड के माह दिसम्बर 2022 के गोहूँ को राशन डीलर के ई-पॉस मशीन में लोड करा दिये जाने एवं उक्त मात्रा का अनाज डीलर को नहीं दिये जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, परिवहन अभिकर्ता एवं ऑपरेटर की मिलीभगत से अनाज की कालाबाजारी का भी आरोप लगाया गया है।

अतः प्राप्त शिकायत पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन



(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

श्रीमान् मुख्य मंत्री (हेमन्त सोरेन जी)

झारखण्ड, राँची।

16 04
22.03.23

सेवा में,

माननीय मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

श्री रामेश्वर उराँव महोदय,

सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

डायरेक्टर, खाद्य एवं उपभोक्ता निर्देशालय, झारखण्ड राँची।

सेवा में,

राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग, झारखण्ड, राँची।

विषय : देवघर जिले के कई प्रखंडों में जिला आपूर्ति पदा० एवं राज्य खाद्य निगम के ठेकेदार के मिली भगत से माह दिसम्बर 2022 के हजारों क्वी० गेहूँ डीलर को नहीं देकर बाजार में बेचकर करोड़ों रुपये वसूली के सम्बन्ध में।

महाशय,

सादर सूचित करना चाहता हूँ कि देवघर जिला के देवघर प्रखंड के माह दिसम्बर 2022 के गेहूँ को डीलर के EPOS मशीन में अनाज के मात्रा लोड करा दिया गया परन्तु डीलर को उक्त मात्रा का अनाज नहीं देकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री अमित कुमार राज्य खाद्य निगम के परिवहन अभिकर्ता एवं ऑपरेटर के मिली भगत से करोड़ों रुपये के अनाज को बाजार में बेचवा दिया गया। अब डीलर के मशीन में उक्त मात्रा लोड हो जाने से अगले एक दो माह में डीलर के मासिक कोटा में से कटौती कर लिया जायेगा, यह घोर अन्याय हो रहा है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का आखिर यह शह कहाँ से मिला क्या इसमें विभाग की मिलीभगत है, क्या जिला आपूर्ति पदा० इतने शांतिर अपराधी हैं जो हजारों कार्डधारियों के अनाज को कालाबाजारी में बेचवा दिया है। इसलिये देवघर प्रखंड एवं कई अन्य प्रखंड के दुकानदारों ने अपने ई०पी०ओ०एस० मशीन से गेहूँ का पूजा नहीं निकाला है तो विभाग द्वारा इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। पूर्व में भी आवेदन दिया हूँ लेकिन विभाग गूंगा और बहरा हो गया है। जिला आपूर्ति पदा० के विरुद्ध कोई कारवाई नहीं कर रहा है। आवेदन को गायब करवा दिया जा रहा है।

अतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन होगा कि इसकी जाँच हेतु शीघ्र ही आदेश देने की कृपा की जाय। जिला आपूर्ति पदा० देवघर के विरुद्ध कानूनी कारवाई कर देवघर जिला से हटाने हेतु आदेश दिया जाय। देवघर प्रखंड के जनता का त्राहीमाम् संदेश।

प्रतिलिपि : सम्पादक महोदय, देवघर, हिन्दुस्तान
पेपर को सूचनार्थ।

विश्वासभाजन

① राम नरदन सिंह

② सीताराम दास

15
1) घुटन दास

2) अश्वाम अंसाठी

3) रामप्रित मंडल

4) सुरेश मरांडी

5) मिश्राज असाठी

6) कुर्वी मरांडी

7) कामी मंडल

8) धनेश्वर मंडल

विधायक ने रोहिणी-बिरनिया पथ निर्माण व गेहूं आवंटन की मांग उठायी

मुख्य संवर्द्धक, देवघर

विधानसभा में शून्यकाल सत्र के दौरान देवघर विधायक नारायण दास ने रोहिणी से कपासिया, बिरनिया, बाघमारी व जीतपुर पथ निर्माण की मांग उठायी। विधायक ने कहा कि यह पथ काफी जर्जर हो गया है। ग्रामीणों को आने-जाने में काफी परेशानी है। इस ग्रामीण कार्य विभाग के पथ को पीडब्ल्यूडी में तब्दील करते हुए नये सिरे से निर्माण कराया जाये, जिससे जखीडीह से रोहिणी बिरनिया होते हुए देवीपुर जाने का

एक नया और बेहतर मार्ग मिल पायेगा। वहीं विधायक ने विधानसभा में देवघर जिले में लाभुकों को दिसंबर माह का गेहूं नहीं मिलने का मामला उठाया है। विधायक ने सदन को अवगत कराया कि डीलरों की मशीन में गेहूं का स्टॉक दिख रहा है तथा विभाग भी डीलरों को गेहूं वितरण करने के लिए कह रहा है, जबकि हकीकत है कि आवंटन ही उपलब्ध नहीं कराया गया है।

